प्रेस विज्ञप्ति
01.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद में पी साई कोमारेश्वर और उनकी पत्नी श्रीमती पी पद्मावती के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.07.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीबीआई, हैदराबाद द्वारा पी साई कोमारेश्वर और उनकी पत्नी श्रीमती पी पद्मावती के खिलाफ 1.26 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुपातहीन संपत्ति रखने के आरोप में दायर आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की। पी साई कोमारेश्वर, सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद में एक कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के रूप में काम करते हुए एक ठेकेदार से उसके बिलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की मांग और स्वीकृति के आरोपों पर एक जाल मामले में शामिल थे। एसीबी, सीबीआई ने उनके आवास पर तलाशी ली और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, 30.50 लाख रुपये नकद और एक लॉकर की चाबी जब्त की गई। जांच के समापन पर, सीबीआई ने पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 12 और 13 और आईपीसी, 1860 की धारा 109 के तहत अपराधों के लिए दंपति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

ईडी की जाँच से पता चला कि दंपति ने जल्दी-जल्दी चार अचल संपत्तियाँ अर्जित कीं और दो संपत्तियों का आंशिक भुगतान नकद और विभिन्न व्यक्तियों से लिए गए असुरक्षित ऋणों के माध्यम से किया गया। इसके अलावा, शेयर बाजार में निवेश के रूप में लगभग 1.39 करोड़ रुपये की तरल संपत्ति होने के बावजूद, उन्होंने 5-6 वर्षों से अधिक समय तक तथाकथित ऋणों का भुगतान नहीं किया। जाँच के दौरान, दंपति अपने परिसरों से जब्त की गई नकदी या उन व्यक्तियों का विवरण, जिनसे तथाकथित ऋण प्राप्त किए गए थे, के संबंध में कोई औचित्य नहीं दे सके। जाँच से पता चला कि अवैध धन को बेदाग़ धन के रूप में प्रदर्शित करके बैंकिंग प्रणाली में वापस लाया गया और संपत्तियाँ खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने पहले 1.26 करोड़ रुपये (लगभग) की तीन अचल संपत्तियाँ कुर्क की थीं, जो मामले में आरोपियों द्वारा अर्जित अपराध की आय के बराबर है।